न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी–राकेश कुमार, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 19/2019

दायर दिनांक :– 04/02/2019

निर्णय दिनांक :– 27/08/25

अनवान्

1. शंकरलाल पिता गोपीलाल जाट निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

वादीगण

बनाम

1. भैरुलाल पिता कालुराम जाट निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. तुलसीराम पिता कालुराम जाट निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. लेहरुलाल पिता उदयराम जाट निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
4. गणेश पिता जीतमल जाट निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
5. मिठाला उर्फ भैरुलाल पिता मोहनलाल जाट निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
6. शाखा प्रवन्धक एस.बी.बी.जे.शाखा गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
7. राजस्थान राज्य जरिये भूमि धारक तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

वादीगण की ओर से – श्री शान्तिलाल जाट,अधिवक्ता

प्रतिवादीगण की ओर से –श्री सुरेश चन्द्र चौधरी,अधिवक्ता

दिनांक :– 27/08/2025

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: : निर्णय : :

अपीलिय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर से प्रतिप्रेषित हो प्राप्त होने पर पत्रावली पुनः दर्ज रजिस्टर की गयी। प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0ए0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम गिलुण्ड

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

पटवार क्षैत्र गिलुण्ड तहसील रेलमगरा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 05 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी नम्बर 96, 98, 99, 100, 101, 102, 121, 122, 128, 129, 151, 152, 153, 255, 3864, 3865, 3866 कुल किता 17 कुल रकबा 56 बिधा 04 बिस्वा भूमि स्थित हैं। उक्त आराजियात में 1/3 हिस्से की भूमि वादी की है व 1/6 हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 01, 02 की है तथा 1/6 हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 03 की है तथा 1/9 हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 04 की है व 2/9 हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 05 की हैं। उक्त भूमियों के विकास के लिए भूमियों का विभाजन कराया जाना नितान्त आवश्यक है बिना विभाजन के भूमियों का विकास सम्भव नही हैं। वादीगण अपने हिस्से की भूमि का विकास कराना चाहता है किन्तु भूमिया संयुक्त खातेदार की होने से भूमियों का विकास नही करा पा रहा हैं। तथा लगान जमा कराने में भी असुविधा हो रही है एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 05 अपने ताकत के बल पर वादी को भूमियों से बेदखल करना चाह रहे है इस हेतु उपयोग उपभोग में बाधा उम्पन्न कर रहे हैं। जिससे वादी को कठिनाईया हो रही हैं। व जब तक विधिवत रुप से विभाजन नही हो जावें तब तक प्रतिवादी सं. 01 से लगायत 05 वादी को अपने 1/3 हिस्से की भूमि से बेदखल नही करे, न ही उसमें किसी प्रकार दका अतिक्रमण करे न ही प्रतिवादी सं. 01 से लगायत 05 अपने हीस्से से अधिक भूमि से अधिक रकबे की बुवाई करे इसके लिए प्रतिवादी सं. 01 से लगाायत 05 के विरुद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना भी अति आवश्यक हो गया है व इस वर्ष भी प्रतिवादी सं. 01 से लगायत 05 ने अपने हिस्से से अधिक भूमि पर बुवाई करने की धमकियां वादी को दी जा रही हैं। ऐसी सुरत में इन भूमियों का कानुनन विभाजन कराया जाना आवश्यक है। जो वादी इन भूमियों का विभाजन मिटस एण्ड बोण्ड पद्वति के आधार से चाहता हैं।विभाजन हो जाने से भूमियों का विकास भी होगा तथा अपने अपने हिस्से का लगान जमा कराने में भी सुविधा रहेगी व साथ ही प्रतिवादी सं. 01 से लगायत 05 के विरुद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी हो जाने से वो वादी की भूमियों में अतिक्रमण नही करेंगे । जिससे वादी के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वह उक्त भूमियों का कानुनन व मौके पर विभाजन करा अपने हिस्से की भूमि स्वतंत्र राजस्व अभिलेख में अंकन अपने नाम पर करा स्वतंत्र आधिपत्य प्राप्त करे। इस हेतु वादी वाद पत्र प्रस्तुत करे जिससे इस निमित्त यह वाद पख प्रस्तुत हैं। वादग्रस्त भूमियां ग्राम गिलुण्ड पटवार क्षैत्र गिलुण्ड तहसील क्षैत्र रेलमगरा में स्थित होने से वाद पत्र का श्रवणाधिकारी व क्षैत्राधिकार न्यायालय आपको हैं। वादी का वाद हेतुक बार बार वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 01 से लगाायत 05 को कहने पर प्रतिवादीगण विभाजन कराने के लिए नही मान रहे है व दिनांक 15.02.2017 को कहने पर प्रतिवादीगण ने विभाजन कराने से मना कर दिया एवं अपने हिस्से से अधिक भूमि पर बुवाई करने की धमकिया वादी को प्रतिवादी सं. 01 से लगायत 05 द्वारा दी गई जिससे वादी का यह वाद

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

बमुकाम गिलुण्ड उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।तथा आराजी सं.255 रकबा 0.03 बिस्वा किस्म आ.चा. होने से इनका विभाजन नही चाहा जा रहा हैं। प्रतिवादी सं.06 के यहां वादी व प्रतिवादी सं. 02 तुलसीराम व 05 मिठालाल उर्फ भैरुलाल की भूमिया रहन होने से इन्हें आवश्यक पक्षकार बनाया गया है अन्यथा प्रतिवादी सं. 06 के खिलाफ कोई दाद नही चाही जा रही हैं। तथा प्रतिवादी सं.07 भूमिधारक होने व वाद विभाजन का होने से उन्हें आवश्यक पक्षकार बनाया गया है अन्यथा उनके विरुद्व भी कोई दाद नही चाही जा रही हैं।वादी का वाद भूमियों का मुल्यांकन 5,00,000/– रुपये कायम कर विभाजन एवं निषेधाज्ञा हेतु 4/– रुपये निख्चित न्यायशुल्क पर अन्दर अवधि प्रस्तुत हैं।अतः प्रार्थना है कि वादी का वाद विरुद्व प्रतिवादी सं.01 से लगायत 05 के स्वीकार फरमाया जाकर निम्न आशय की प्रारम्भिक व अन्तिम डिक्री जारी फरमाई जावें वाद पत्र की कलम सं. 01 में वर्णित भूमियों में आराजी चाह सं.255 को छोडकर अन्य आराजीयात का मिट्स एण्ड बोण्ड्स पद्वति के आधार पर राजस्व अभिलेख में वादपत्र में वर्णित हिस्से अनुसार विभाजन कराया जाकर वादी को प्राप्त होने वाली भूमि का राजस्व अभिलेख में स्वतंत्र अंकन कराया जावें व मौके पर वादी को स्वतंत्र आधिपत्य दिलाया जावें। इस हेतु प्रतिवादी सं 07 को कमीश्नर नियुक्त फरमाया जावें। बाद विभाजन वादी को प्रपप्त होने वाली भूमियों में प्रतिवादी सं. 01 से लगायत 05 स्वयं अथवा उनके पतिरवार जन, नौकर चाकर, एजेण्ड मित्रगण आदि किसी प्रकार की दखलन्दाजी वादी को नही करे इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित फरमाई जावें। वाद व्यय वकील मेहनताना आदि व्यय वादी को प्रतिवादीसं.01 से लगायत 05 से दिलाया जावें। अन्य कोई समूचित सहायता जो वादी प्राप्त करने का अधिकारी हो दिलाई जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण हो जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 06 बावजूद सूचना के अनुपस्थित होने से प्रकरण में इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 07 पेरोकार सरकार के विरूद्व कोई दाद नही चाही गयी है।

वादी ने पूर्व में जारी की गयी डिक्री पर अपनी सहमति प्रदान की जाकर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया गया।

अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस सुनी गई। पत्रावली एवं उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि वादग्रस्त आराजियात वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमियां है। वादी वादग्रस्त भूमि का विधिक विभाजन कराना चाहता है। विधि

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

में भी प्रत्येक खातेदार को अपनी सहखातेदारी की भूमि का विभाजन कराये जाने का अधिकारी निहीत है।

: : आदेश : :

अतः वादी का वाद आंशिक रूप से विभाजन का स्वीकार किया जाकर ग्राम गिलुण्ड पटवार क्षैत्र गिलुण्ड तहसील रेलमगरा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 05 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की वादग्रस्त आराजी नम्बर 96, 98, 99, 100, 101, 102, 121, 122, 128, 129, 151, 152, 153, 255, 3864, 3865, 3866 कुल किता 17 कुल रकबा 56 बिघा 04 बिस्वा का पक्षकारान के मध्य मिट्स एण्ड बोण्ड्स पद्वति के आधार विभाजन कराये जाने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं तहसीलदार रेलमगरा को निर्देशित किया जाता हैं कि वे सभी पक्षकारान को सूचित करते हुए उनके मध्य मिट्स एण्ड बोण्ड्स पद्वति के आधार पर विभाजन कर विभाजन योजना मय नक्शा ट्रेस पृथक–पृथक रंग भरे जाकर प्रस्तुत करें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। इसी अनुसार प्रारम्भिक डिकी पर्चा कायम हो।

निर्णय आज दिनांक 27/08/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार न्योल)
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

मूलवाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार न्योल, आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या :– 19/2019

वादीपक्ष –

1. शंकरलाल पिता गोपीलाल जाट निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रतिवादी पक्ष –

1. भैरुलाल पिता कालुराम जाट निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. तुलसीराम पिता कालुराम जाट निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. लेहरुलाल पिता उदयराम जाट निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
4. गणेश पिता जीतमल जाट निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
5. मिठाला उर्फ भैरुलाल पिता मोहनलाल जाट निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
6. शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे.शाखा गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
7. राजस्थान राज्य जरिये भूमि धारक तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रतिवादीगण

दावा :– वाद विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा
वादीगण की ओर से – श्री शान्तिलाल जाट, अधिवक्ता
प्रतिवादीगण की ओर से – पेरोकार सरकार

में इस आशय मे दिनांक 27/08/2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद आंशिक रूप से विभाजन का स्वीकार किया जाकर ग्राम गिलुण्ड पटवार क्षैत्र गिलुण्ड तहसील रेलमगरा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 05 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की वादग्रस्त आराजी नम्बर 96, 98, 99, 100, 101, 102, 121, 122, 128, 129, 151, 152, 153, 255, 3864, 3865, 3866 कुल किता 17 कुल रकबा 56 बिधा 04 बिस्वा का पक्षकारान के मध्य मिट्स एण्ड बोण्ड्स पद्वति के आधार विभाजन कराये जाने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं तहसीलदार रेलमगरा को निर्देशित किया जाता है कि वे सभी पक्षकारान को सूचित करते हुए उनके मध्य मिट्स एण्ड बोण्ड्स पद्वति

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

के आधार पर विभाजन कर विभाजन योजना मय नक्शा ट्रेस पृथक–पृथक रंग भरे जाकर प्रस्तुत करें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें।

आज दिनांक 27/08/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(राकेश कुमार न्योल)
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा